न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 16/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
खुमाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी भोमासर तहसील खींवसर जिला नागौर।		तहसीलदार, खींवसर जिला खींवसर।

उपस्थिति :–
1. श्री राधेश्याम सांगवा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:06.11.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 252/2019 सरकार बनाम खुमाराम में निर्णय दिनांक 05.06.2020 के तहत मौजा भोमासर के खसरा नं. 1717 रकबा 3.10 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.06.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 01.07.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार खींवसर के प्रकरण सं. 252/19 सरकार बनाम खुमाराम के निर्णय दिनांक 05.06.20 की फोटोप्रति, ई–मित्र की रसीद फोटोप्रति, सीमाज्ञान के आवेदन की फोटोप्रति तथा मौका रिपार्ट की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया गया होने तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पूर्ण सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच व नाप चोप किये, बिना अतिक्रमी साबित हुए ही पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट ने जवाब नोटिस के जरिये यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका कथित खसरा नं. 1717 गै.मु. मगरा के किसी भी भूभाग पर कोई कब्जा अतिक्रमण नही है। इस खसरा नं. 1717 के चिपता ही अपीलांट की कब्जासुद खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1716 स्थिति रहती चली आयी है व खातेदारी मे दर्ज रकबा अनुसार ही अपीलांट का कब्जा काश्त रहता चला आया और मात्र गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी से अब अपीलांट के विरूद्व बाले बाले अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट करवायी जाकर बहुत कम समय मे ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर कठोरतम निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। जो कतई न्याय संगत नही है। अपीलांट को कथित पूर्व के किसी भी आदेश, बेदखली की कोई जानकारी नही है। न ऐसी कोई अपीलांट की जानकारी मे हुई थी, मात्र येन केन प्रकारेण अपीलांट को कारावास की सजा से दण्डित करवाने के लिये सारी कार्यवाही बाले बाले की गयी है। जबकि खसरा नं. 1717 गै.मु. मगरा बहुत बडा रकबा है। जिस पर कई लोगो के कब्जा है। लेकिन राजनैतिक पार्टीबाजी के चलते वास्तविक अतिक्रमियो के विरूद्व तो कोई रिपोर्ट पेश नही कर इस खसरा के चिपते अपीलांट की खातेदारी का खेत खसरा नं. 1716 होने के कारण अपीलांट को चिपते खसरा नं. 1717 की ओर बढते हुए अतिक्रमण करने की मिथ्या रिपोर्ट करके उक्त आदेश जैर अपील पारित करवाया गया है। जो विधि सम्मत नही है। क्योकि अपीलांट का शुरू से ही निवेदन रहा है कि यदि निष्पक्ष रूप से नाप चोप कर सीमाज्ञान करवा लिया जावे तो वास्तविक

अपर कलक्टर, नागौर

स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और सीमाज्ञान करवाने पर यदि अपीलांट को कथित सरकारी मगरा के किसी भी भूभाग पर किसी प्रकार का कोई कब्जा पाया जावेगा तो उसे तुरंत छोडने के लिये तैयार था व है। इस प्रकार एक काश्तकार द्वारा इससे ज्यादा सक्षम अधिकारी के समक्ष और क्या निवेदन कर सकता है तथा सीमाज्ञान हेतु तत्परता बरतते हुए दिनांक 10.2.20 को जरिये ईमित्र सरकारी कोष मे नियमानुसार राशि जमा करवाकर रसीद सं. 20254270111 दिनांक 10.2.20 समय 12.10 बजे प्राप्त की। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट भूमि का नाप चोप व सीमाज्ञान करवाकर सदेव के लिये विवाद समाप्त करवाने व वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट करने हेतु तैयार व तत्पर रहा है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना अपीलांट को सुने यह कहते हुए एकतरफा निर्णय कर दिया कि सीमाज्ञान नही करवाया है। सीमाज्ञान का नोटिस दिनांक 28.5.20 को जारी किया गया है। फिर भी सीमाज्ञान नही करवाया है। इस कारण अतिक्रमी घोषित कर सजा से दण्डित किया जाना अपने निर्णय मे बताया गया है। जबकि अपीलांट ने सीमाज्ञान करवाने मे कोई कोताही व लापरवाही नही है। दिनांक 10.2.20 को ही राशि जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर ली थी, इसके बावजूद पटवारी वगैरा ने जानबूझ कर सीमाज्ञान नही किया न ही तहसीलदार ने इस ओर रूचि ली, उनको तो मात्र अपीलांट को येन केन प्रकारेण सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय करना था। इस कारण वास्तविक तथ्यो का समावेश किये बिना सरसरी तौर पर ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया व अब गांव मे अपीलांट के विरोधी पक्ष व पटवारी वगैरा अपीलांट को गिरफ्तार करवा कर जेल मे डलवाने की ऐलानिया कह कर बिना किसी कारण के बिना अतिक्रण के अपीलांट को तंग परेशान कर बेइज्जत किया जा रहा है। इन परिस्थितियो मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर पक्षकारान की मौजूदगी मे तुरंत खसरान का नाप चोप व सीमाज्ञान तहसीलदार की मौजूदगी मे करवा कर पत्थरगडी करने हेतु उचित निर्देश देते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाना न्यायोचित है।

{2}(III)–अपीलांट का कथित खसरा नं. 1717 गै.मु. मगरा के किसी भी भूभाग पर न तो पूर्व मे कभी कब्जा रहा है न आज दिन है। अपीलांट से नाराजगी रखने वाले लोगो ने पटवारी को अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवायी है। जबकि कथित खसरा नं. 1717 के चिपता ही अपीलांट की खातेदारी का खेत खसरा नं. 1716 स्थित है। इनका नाप चोप करवाने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती है और उस नाप चोप व सीमाज्ञान मे यदि एक इंच भी खातेदारी से अधिक अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलांट ऐसा कब्जा छोडने को सदेव तैयार था, है व रहेगा, जब इस तरह का नम्रतापूर्वक निवेदन अपीलांट का सक्षम अधिकारी के समक्ष होता है तो ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का भी यह दायित्व होता है कि किसी काश्तकार के ऐसे निवेदन पर नाप चोप व सीमाज्ञान संबंधी कार्यवाही करके विवाद का निस्तारण किया जावे मगर प्रकरण हाजा मे ऐसा नही करके बिना किसी आधार के, बिना विधिक सुनवाई के, बिना पत्रावली का अवलोकन किये व बिना आवश्यकता के ही ऐसा कठोरतम निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–इस प्रकार अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि या गै.मु. मगरा के किसी भी भूभाग पर कोई कब्जा नही है तथा न ही अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पूर्व के कथित प्रकरण मे अपीलांट की कोई विधिवत सुनवाई नही हुई है न तथाकथित कोई बेदखली हुई थी, उसकी आड मे अपीलांट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया है। जबकि केवल मात्र नाप चोप व सीमाज्ञान का मामला है और ऐसा किये जाने पर संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। अपीलांट के विरूद्व सारी कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक की गयी है। ऐसी सूरत मे निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–हस्तगत प्रकरण मे बिना किसी प्रकार की जांच किये व तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके पर गै.मु. मगरा व अपीलांट की खातेदारी की भूमि का नाप चोप करवाये बिना ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी मे निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया होने से निर्णय जैर अपील विधि गैर कानूनी निर्णय है।

{2}(VI)–वकील अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके द्वारा किया गया अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.6.20 के अनुसार भी हटा लिया जाने की पुष्टि हो रही है। अपीलांट का आराजी भूमि के किसी भी भू भाग पर मौके पर उसका किसी तरह

अपर कलक्टर, नागौर

का अतिक्रमण व कब्जा नही है तथा न ही वो भविष्य मे अतिक्रमण करेगा। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा भोमासर में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भोमासर के खसरा नंबर 1717 रकबा 3.10 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. मगरा है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत आश्वस्त किया है। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी। शेष आदेश बेदखली व जुर्माना जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाथा गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर